न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

प्रधानी नियुक्ति अपील वाद सं0–06/2023

सुभास्टीन मुर्मू
बनाम
रमेश सोरेन
अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता–मो0 जावेद हैदर।
उत्तरकारी के अधिवक्त– श्री अंबिका प्रसाद मित्रा।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

यह अपील वाद अपीलार्थी सुभास्टीन मुर्म, पति–स्व0 बाबुलाल मुर्मू, सा0–जामुगड़िया, थाना–अमड़ापाड़ा, जिला–पाकुड के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0वाद सं0–12/1988–89 में दिनांक 07.07.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि अमड़ापाड़ा अंचल अंतर्गत मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान पद पर माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय के आर0एम0आर0 वाद सं0–106/1993–94 में दिनांक–14.08.2006 को पारित आदेश में निहित निदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के द्वारा अपने न्यायालय के पी0ए0वाद सं0–12/1988–89 में दिनांक 07.07.2023 को आदेश पारित कर उत्तरकारी सं0–01 रमेश सोरेन, पिता–शारदा सोरेन, सा0–जामुगड़िया की नियुक्ति मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत् की गयी है। निम्न न्यायालय द्वारा की गई उक्त नियुक्ति को अपीलकर्त्ता द्वारा गलत बताते हुए यह अपील वाद दायर किया गया है।

वर्णित वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया। साथ ही उत्तरकारीगणों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे जाने हेतु सूचना निर्गत किया गया। उत्तरकारी रमेश सोरेन अपने मनोनित अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना पक्ष न्यायालय में रखा गया। तदोपरांत वाद सुनवाई की अंतिम निर्धारित तिथि 21.03.2025 को पक्षकारों के मनोनित अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क को सुनकर अभिलेख आदेश हेतु निर्धारित किया गया।

अपीलकर्त्ता के मनोनित अधिवक्ता का सुना एवं उनके द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र का अवलोकन किया। इनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय के आर0एम0आर0 वाद सं0–106/1993–94 में दिनांक–14.08.2006 को पारित आदेश में निहित निदेश का बगैर अनुपालन किये मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति निम्न न्यायालय द्वारा की गयी है। इनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–12/1988–89 में दिनांक–15.06.1990 को पारित आदेश, जिसके तहत उत्तरकारी रमेश सोरेन के मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान हेतु समर्पित आवेदन पत्र को खारिज किया गया है तथा मौजा जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर अपीलकर्त्ता के पिता–बाबुलाल मुर्मू की नियुक्ति संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–5 के तहत की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक–15.06.1990 के विरूद्ध अपर उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में आर0एम0ए0 वाद सं0–22/1991 दायर हुआ एवं अपर उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा उक्त वाद में दिनांक–19.06.1993 को पारित आदेश के विरूद्ध रमेश सोरेन के द्वारा रिविजन वाद माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में दायर किया गया। माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा अपने न्यायालय में रिविजन वाद 106/1993–94 संस्थित करते हुए वर्णित वाद में दिनांक–14.08.2006 को अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा यह न्याय निर्णय दिया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा रमेश सोरेन के द्वारा उत्तराधिकरी के आधार पर मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत दावा को Valid-Ground के आधार पर खारिज किया गया एवं रमेश सोरेन के द्वारा अपने उत्तराधिकारी के आधार पर ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु किये जा रहे दावे के समर्थन में किसी प्रकार का कोई प्रमाण दाखिल नहीं किया गया। साथ ही मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर अपीलकर्त्ता के पिता बाबुलाल मुर्मू के संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–5 के तहत मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर की गयी नियुक्ति में अपनाई गयी प्रक्रिया को नियम विरूद्ध बताया गया एवं इस आधार पर निम्न न्यायालय के अभिलेख को पुर्नप्रेषित (Remand) किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु विधिवत प्रक्रिया को अपनाते हुए मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति करें। इनके द्वारा कहा गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा यद्यपि मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु मौजा के जमाबंदी रैयतों की सूची की मांग की गयी, परन्तु उनके द्वारा	

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय से प्राप्त निदेश का बगैर अनुपालन किये मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर रमेश सोरेन की नियुक्ति संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत की गयी है। इनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक–07.07.2023 को पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरकारी के विज्ञ अधिवक्ता का सुना। इनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के द्वारा माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय के आर0एम0आर0 वाद सं0–106/1993–94 में दिनांक–14.08.2006 को पारित आदेश में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति निम्न न्यायालय द्वारा की गयी है। इनके द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि मौजा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति की प्रक्रिया में धारा 6 के तहत उल्लेखित प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जाना है। साथ ही साथ संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक नियम 1950 के अनुसूची–V में वर्णित है कि ग्राम प्रधान का पद उत्तराधिकारी पद है एवं उक्त पद पर योग्य उम्मीदवार का चयन करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण की जानी है। इनके द्वारा कहा गया है कि माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा मौजा–जामुगड़िया के प्रधान के पद पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित सभी न्यायादेश को निरस्त करते हुए वैध प्रक्रिया के तहत् ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति किये जाने का आदेश दिया गया एवं इसी आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के द्वारा रमेश सोरेन की नियुक्ति मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत की गयी है। इस हेतु इनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा पारित आदेश को नियमानुसार बताते हुए अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख तथा निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2023 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उल्लेखित किया गया है कि उनके द्वारा माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय के आर0एम0आर0 वाद सं0–106/1993–94 में दिनांक–14.08.2006 को पारित आदेश में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति की गयी है। पक्षकारों के मनोनित अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत दलील

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ... कार्य... टिप्पण... सहि...
1	2	3

एवं पी0ए0 वाद सं0–12/1988–89 के अभिलेख आदेश फलक की अभिप्रमाणित प्रति के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मौजा–जामुगड़िया के अंतिम नियुक्त पट्टाधारी ग्राम प्रधान रमेश सोरेन के पिता–शारदा सोरेन थे, जिनकी मृत्यु के पश्चात् रमेश सोरेन के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में मौजा जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय में पी0ए0 वाद सं0–12/1988–89 संस्थित हुआ। उक्त वाद में अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा दिनांक–15.06.1990 को आदेश पारित करते हुए आवेदक रमेश सोरेन को ग्राम प्रधान के पद पर अयोग्य पाते हुए उनके दावा को खारिज किया गया एवं कालांतर में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 की प्रक्रिया को अपनाते हुए अपीलकर्त्ता के पिता बाबुलाल मुर्मू को मौजा जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्त किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध एवं अपर उपायुक्त, साहेबगंज के न्यायालय में आर0एम0ए0 वाद सं0 22/1991 में दिनांक–19.06.1993 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0आर0 वाद सं0–106/1993–94 दायर किया गया, जिसमें माननीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक–14.08.2006 को पारित आदेश में वर्णित है कि–

"Perused the records of the courts below and examined the documents on records. The facts which come to the fare are the following.

(1). The Petitioner claims as Pradhan of the village on hereditary basis was rejected by the S.D.O on valid grounds. Against the ground on which S.D.O found him not eligible on hereditary ground. The petitioner here has given no proof. Hence that part of the issue is closed.

(2). But while proceeding u/s 5 of S.P.T Act the S.D.O adopted wrong procedure. Peruseal of this order on different dates reveal that although the list of jamabandi raiyat of the village had been submitted by the Anchal Adhikari that was not mad base on ascertaining the opinion of the jamabandi raiyat in regard to who should be appointed as Pradhan rather the S.D.O was guished by the list of suporter submitted by diffrent coulestants. Wheter this suporter were the jamabandi raiyat or 16 ana raiyat of the Mouza or not was not at all verified. This was as serious legal lacuna on the part of the S.D.O in declaring the Pradhan appointed. There is also no record of the list of jamabandi raiyat submitted by A.A attested with the records of courts below which gives a sense of suspicion in this regard.

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
	2	3

(3). Voting on the basis of list of suporters submitted by the coulestants for Pradhan was a new formula adopted by the S.D.O which is not teneble in law in this regard. And in appeal the addl Dy Commissioner ignored the vital law point.

On the basis of the facts mentioned above the order of lower courts is set aside on the basis of ignoring the legal procedure and case is remanded to adopt the legal procedure and decide a fresh.

माननीय आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश की कंडिका–1 में यह स्पष्ट किया गया है कि रमेश सोरेन के द्वारा उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु समर्पित आवेदन पत्र, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के द्वारा अपने आदेश दिनांक–15.06.1990 के द्वारा खारिज किया गया है, के विरूद्ध माननीय आयुक्त के न्यायालय में कोई साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया एवं इस आधार पर आवेदक रमेश सोरेन के द्वारा उत्तराधिकारी के आधार पर मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत दावा को समाप्त किया गया है। साथ ही साथ मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर बाबुलाल मुर्मू की संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–5 के तहत् की गयी नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया को भी नियमसंगत नहीं बताया गया है एवं इस आधार पर ही माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु रिमांड किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के द्वारा पारित आदेश का जिसके तहत उन्हे मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–5 में निहित प्रावधान का अनुपालन करते हुए किया जाना था, परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–5 का अनुपालन ना कर आवेदक रमेश सोरेन को मौजा–जामुगड़िया का ग्राम प्रधान के पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत नियुक्त किया गया, जबकि आवेदक रमेश सोरेन के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–6 के तहत् उत्तराधिकारी के आधार पर किये गये दावे को अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के द्वारा पूर्व में अपने आदेश के तहत खारिज किया जा चुका है तथा उक्त आदेश की सम्पूष्टि माननीय आयुक्त महोदय द्वारा आर0एम0आर0 वाद सं0 106/1993–94 में दिनांक–14.08.2006 को पारित आदेश की कंडिका–1 के माध्यम से किया

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी, यदि कोई सहित
1	2	3

गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा आवेदक रमेश सोरेन की मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर आदेश दिनांक–07.07.2023 के माध्यम से की गयी नियुक्ति त्रुटिपूर्ण पाते हुए निरस्त किया जाता है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड को आदेश दिया जाता है कि मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति के संबंध में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा आर0एम0आर0 वाद सं0 106/1993–94 में दिनांक–14.08.2006 को पारित आदेश में निहित निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए मौजा–जामुगड़िया के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति दो माह के अन्दर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–5 के तहत् अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को भेंजे इसकी एक प्रति अंचल अधिकारी, अमड़ापाड़ा को भी उपलब्ध करायें। आदेश उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवलोकन करायें।

लेखापित एवं संशोधित।

26/12/25
उपायुक्त,
पाकुड़।

26/12/25
उपायुक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by localhost
Date: 2025.04.11 17:10:56 +05:30
Location: 192.168.0.119